संख्या-14/2015/181/84-1-15-21बामा/2009टी.सी.-3

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 31 मार्च, 2015

विषय- 05 नई कार्यमानक प्रयोगशाला/द्वितीय मानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-65/निविमावि-लेखा-7(25)भासयो-5/2014 दिनॉक 23.02.2015, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यमानक प्रयोगशाला राबर्टसगंज, दुदधी, हापुड, हरदोई, एवं हैदरगंढ (बाराबंकी) कुल 05 नये कार्यमानक प्रयोगशालाओं के भवनों के निर्माण हेतु रू0 1,34,23,000/- की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू0 10,48,06,000/ के सापेक्ष नीचे दी हुई तालिका के कालम-4 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यमानक प्रयोगशालाओं हेतु रू0 67,11,500/- (रूपये सडसठ लाख ग्यारह हजार पॉच सौ0 मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करतें हैं -

क्र0 सं0	कार्यमानक प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत लागत	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	राबर्टसगंज	24,55,000	12,27,500
2	दुदधी (सोनभद्र)	32,42,000	16,21,000
3	हापुड	28,63,000	14,31,500
4	हरदोई	28,95,000	14,47,500
5	हैदरगंढ (बाराबंकी)	19,68,000	9,84,000
		1,34,23,000	67,11,500

1- कार्यमानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु संलग्न आगणनो में दर्शायी गई दर/मात्रा को भवन निर्माण में सुनिश्चित कराने का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग का होगा। स्वीकृति धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि उपयोग होने के पस्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को अग्रिम किस्त अवमुक्त किये जाने हेतु भौतिक विवरण सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप दिनांक 30-9-2015 तक पूर्ण कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- नियंत्रक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु प्रदेश सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना में धनराशि प्राप्त न की गई हो और न ही किसी अन्य योजना में स्वीकृति हेतु सम्मिलित करते हुए शासन को संदर्भित किया गया हों।

4- नियंत्रक का यह दायित्व होगा कि जनपदों में उपलब्ध भूमि विभाग के कब्जे में हो तथा निर्विवाद हो।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0102-द्वितीयमानक प्रयोगशाला/कार्यमानक प्रयोगशाला/कैलिब्रेशन टावर्स का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-14-231/2014, दिनांक 22-7-2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

कुलदीप कुमार रस्तोगी
अनु सचिव।

संख्या-14/2015/181(1)/84-1-15-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम समप्रति यू0पी0 स्टेट कांस्टक्शन एण्ड इन्फरास्टक्चर डेवलेपमन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कुलदीप कुमार रस्तोगी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।